LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Friday, 10 August 2018 / 19 Shraavan 1940 (*Saka*)

No. 90

03.05 PM **Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 3.05 PM **Question Hour :**
Replies to Starred Questions No.81 to 100 and Un-Starred Questions No. 259 to 309 were placed on the table.

2. 3.06 PM **Special Mention(Rule-280):**
The Chair directed that the matters to be raised by the following Members under Rule-280 be treated as read :

1. Sh. Jagdish Pradhan
2. Sh. Jagdeep Singh
3. Sh. Naresh Yadav
4. Sh. Vijender Gupta
5. Sh. Sandeep Kumar
6. Sh. Prakash
7. Sh. S.K. Bagga
8. Sh. Pankaj Pushkar
9. Sh. Naresh Balyan
10. Sh. Praveen Kumar

3. 3.06 PM **Statements by Ministers :**
Sh. Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister made a brief statement regarding decision taken by the Council of Ministers to install CCTVs in Delhi.
Sh. Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister also made a brief statement on the issue.
Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition, Ms. Alka Lamba, Sh. Sukhbir Singh Dalal and Sh. Sanjeev Jha expressed their views on the aforesaid issue.

Ms. Alka Lamba moved the following Resolution with the leave of the House.
"This House in its sitting held on 10 August 2018;
Noting with concern the efforts of vested interests to delay and sabotage the implementation of the scheme of the Government to install CCTVs across Delhi;
This House resolves that CCTV installation in Delhi is an urgent need for protection of women and children of Delhi and should be executed with utmost priority;
This House also, condemns the Chief Secretary who appears to be acting on behalf of the BJP Government in Centre, for blocking the CCTV project and his act appears to be part of the conspiracy by opposition to further delay the CCTV Project;
This House demands that Shri Anshu Prakash should immediately be removed from the post of Chief Secretary, Delhi; and
This House also resolves that the delay that occurred in implementing this decision depsite the fact that the CCTV decision by Government was taken in October, 2015 needs detailed examination and therefore the reasons for delay should be examined by the appropriate House Committee"

The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote

Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Health congratulated Revenue Department, Irrigation & Flood Control Department and MCDs on effective measures taken during the flood situation in Yamuna river.
He also made a brief statement regarding prevention of Chikungunya, Malaria & Dengue and the preventive measures being taken by the Government.
Sh. Gopal Rai, Hon'ble Minister of Labour made a brief statement regarding minimum wages in Delhi. He stated that the Govt. of NCT of Delhi would implement the policy of Central Government in this regard. He also announced that the employees engaged through outsourcing agencies would be directly engaged by the Govt. on contract basis.
Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition stood up and demanded that the notice of Calling Attention (Rule-54) given by him be considered.
Sh. Jagdish Pradhan and Sh. Om Prakash Sharma also stood up and supported the views of Sh.Vijender Gupta.
They came in the well of the House and started exchanging arguments with the Chair.
Uproar in the House.

4. 3.51 PM **The Chair adjourned the House upto 4.15 PM due to continuous disturbance in the proceedings.**

5. 4.24 PM **House reassembled.**
Hon'ble Speaker in-Chair.

6. As the House assembled, Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition again stood up and demanded that the notice of Calling Attention (Rule-54) given by him be considered.

7. 4.25PM **Ruling by the Chair:**
The Chair stated that he had not allowed the notice under Rule-54 (Calling Attention) as the sitting of the House had commenced at 03.00 PM and three Private Members Resolutions were to be taken up today. He requested the Members to not argue about the fate of their notices.
Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition was not satisfied with the Ruling. He came in the well of the House and started exchanging arguments with the Chair.
The Chair named Sh. Vijender Gupta, Hon'ble Leader of Opposition for his indecorous behaviour.
As the Member refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.
Sh. Om Prakash Sharma and Sh. Jagdish Pradhan walked out in protest.

8. 4.30 PM Sh. Mohinder Goyal raised the issue of funds for the villages in proportion to their area and population.
Sh. Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development replied.

9. 4.33 PM **Statement by Minister :**
Sh. Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare stated that a fringe group had burnt the copies of Constitution during a protest at Parliament Street on 09 August, 2018.
He demanded that strict action be taken against those culprits who insulted the Consititution and tried to disrupt the social harmony.

10. 4.43 PM Sh. Sandeep Kumar stood up and requested the Chair to allow him to raise the matter under Rule-280.
The Chair stated that the matters to be raised by the Hon'ble Members under Rule-280 for the day had been treated as read.
Sh. Sandeep Kumar started exchanging arguments and did not take his seat despite repeated requests made by the Chair.
The Chair named Sh. Sandeep Kumar for his indecorous behaviour.
As the Member refused to withdraw voluntarily, the Chair directed the Marshalls to escort him out.

11. 4.44 PM **PRIVATE MEMBERS' BUSINESS**

Private Members' Resolutions :

1. **Ms. Alka Lamba** moved the following Resolution :-
"*This House resolves that there is a strong need to make policy decisions around problems related to stray dogs and monkeys in many parts of Delhi. The Municipal Corporations should research and formulate creative and scientific methods to ensure that there is no menace of dog bites or monkey bites and also that there is no cruelty to animals*".
The following Members participated in the discussion :
    1. Sh. Saurabh Bharadwaj
    2. Sh. Jarnail Singh
    3. Sh. Somnath Bharti
    4. Sh. Nitin Tyagi
    5. Sh. Rajesh Rishi
    6. Sh. Surender Singh

Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Urban Development replied to the discussion.
He agreed with the suggestion that a House Committee be constituted to examine the aforesaid issue.

Taking the sense of the House, the Chair constituted the following committee :
    1. Sh. Somnath Bharti, Chairman
    2. Sh. Rajesh Rishi
    3. Sh. Saurabh Bharadwaj
    4. Sh. Om Prakash Sharma
    5. Ms. Alka Lamba

The Resolution moved by Ms. Alka Lamba was put to vote and adopted.

5.30 PM 2. **Sh. Shri Dutt Sharma** moved the following Resolution :-

"Taking note of the fact that there is a surprising trend among few IAS officers in Delhi to challenge the powers, privileges and procedure of Delhi Assembly & its Committees; also taking note of the fact that these officers are levelling allegations of bias against members of the Committees; This House condemns such actions of misinformation and misrepresentation of facts before the Courts & Media and resolves that strict action should be taken against such officers of belittling the stature of the Legislature, its Committees and Members".

The following Members participated in the discussion :

1. Sh. Saurabh Bharadwaj *(He also moved an amendment)*
2. Sh. Nitin Tyagi
3. Sh. Akhilesh Pati Tripathi
4. Sh. Somnath Bharti

Sh. Satyendra Jain, Hon'ble Minister of Home replied to the discussion.

The following amended Resolution was put to vote and adopted :

"Taking note of the fact that there is a surprising trend among few IAS officers in Delhi to challenge the powers, privileges and procedure of Delhi Assembly & its Committees; also taking note of the fact that these officers are levelling allegations of bias against members of the Committees;

This House condemns such actions of misinformation and misrepresentation of facts before the Courts & Media and resolves that strict action should be taken against such officers of belittling the stature of the Legislature, its Committees and Members;

This House further resolves that the Government should not accord permission to officers to challenge the decisions of the House, its Committees or the Speaker;

This House also resolves that the Officers should bear the litigation expenses, if they chose to challenge the decisions of the House, its Committees or the Speaker; and

In case permission to such officers to challenge the decisions of the House, Committees or Speaker is granted, then the litigation expense should be recovered from the Officer, Minister or Authority who grants such permission".

12. 6.29 PM The Chair greeted the House on 72nd Independence Day and announced that the Assembly Building would be illuminated on 14 and 15 August 2018 from 5.30 PM. He invited the Members to witness it along with their family and guests.

13. 6.30 PM The Chair expressed thanks to the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Leader of Opposition, all the Members of the House and other agencies for their co-operation in smooth conduct of the Session.

14. 6.31 PM ***National Anthem – Jan-Gan-Man***

The Chair adjourned the House *sine-die*.

Delhi
10th August, 2018

C. Velmurugan
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
शुक्रवार, 10 अगस्त, 2018 / 19 श्रावण, 1940 (शक)

संख्या–90

3.05 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 3.05 बजे **प्रश्न कालः**

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 100 तथा अतारांकित प्रश्न सख्या 259 से 309 के उत्तर सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये।

2. 3.06 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि निम्नलिखित सदस्यों द्वारा नियम–280 के अंतर्गत उठाये जाने वाले विशेष उल्लेख के मामलों को पढ़ा हुआ माना जाये : –

1. श्री जगदीश प्रधान
2. श्री जगदीप सिंह
3. श्री नरेश यादव
4. श्री विजेन्द्र गुप्ता
5. श्री संदीप कुमार
6. श्री प्रकाश
7. श्री एस.के.बग्गा
8. श्री पंकज पुष्कर
9. श्री नरेश बाल्यान
10. श्री प्रवीण कुमार

3. 3.06 बजे **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य :**

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सी.सी.टी.वी लगाने के लिए मंत्री परिषद् के निर्णय के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सुश्री अलका लाम्बा, श्री सुखबीर सिंह दलाल और श्री संजीव झा ने उपरोक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त किये।

सुश्री अलका लाम्बा ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''यह सदन दिनांक 10 अगस्त, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में :

पूरी दिल्ली में सी.सी.टी.वी. लगाने की सरकार की योजना के क्रियान्वयन में निहित स्वार्थों द्वारा विलम्ब तथा उसके विध्वंस के प्रयासों के प्रति चिंता प्रकट करते हुए ;

यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली में सी.सी.टी.वी. लगाना दिल्ली की महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू किया जाना चाहिए ;

यह सदन मुख्य सचिव की भी निंदा करता है, जो सी.सी.टी.वी. परियोजनाओं को ब्लॉक करने के लिए केन्द्र में भाजपा सरकार की तरफ से कार्य करते प्रतीत होते हैं तथा उनका कार्य सी.सी.टी.वी. परियोजना में और अधिक विलम्ब करने के लिए विपक्ष द्वारा षड़्यंत्र करने का हिस्सा प्रतीत होता है ;

यह सदन मांग करता है कि श्री अंशु प्रकाश को दिल्ली के मुख्य सचिव के पद से तत्काल हटाया जाये, और

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि इस तथ्य के बावजूद कि सरकार द्वारा सी.सी.टी.वी. लगाने का निर्णय अक्टूबर, 2015 में लिया गया था, इस निर्णय के लागू होने में हुए विलम्ब की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और इसलिए सदन की उपयुक्त समिति से विलम्ब के कारणों की जांच करवाई जाये।''

संकल्प को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार हुआ।

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्व विभाग, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली नगर निगमों को यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति के दौरान प्रभावी कदम उठाने के लिए बधाई दी।

उन्होंने चिकनगुनिया, मलेरिया तथा डेंगू की रोकथाम और सरकार द्वारा निवारण के उपाय करने के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री गोपाल राय, माननीय श्रम मंत्री ने दिल्ली में न्यूनतम वेतन के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस संबंध में केन्द्र सरकार की नीति को लागू करेगी। उन्होंने घोषणा की कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से लगे हुए कर्मचारियों को सरकार अनुबंध आधार पर सीधे लगायेगी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने आसन पर खड़े हो गये तथा उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण (नियम–54) की सूचना पर विचार करने की मांग करने लगे।
श्री जगदीश प्रधान तथा श्री ओमप्रकाश शर्मा भी खड़े हो गये तथा श्री विजेन्द्र गुप्ता का समर्थन करने लगे। वे सदन के वैल में आ गये तथा अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लगे।
सदन में शोर–शराबा।

4. 3.51 बजे **अध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही में लगातार बाधा होने के कारण सदन अपराह्न 4.15 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

5. 4.24 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

6. जैसे ही सदन समवेत हुआ, श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष पुनः खड़े हो गये और उनके द्वारा दी गई ध्यानाकर्षण (नियम–54) की सूचना पर विचार करने की मांग करने लगे।

7. 4.25 बजे **अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था :**
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उन्होंने नियम–54 (ध्यानाकर्षण) के तहत सूचना को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि सदन की बैठक अपराह्न 3.00 बजे प्रारम्भ हुई है और गैर सरकारी सदस्यों के तीन संकल्पों पर आज विचार किया जाना है। उन्होंने सदस्यों से सूचनाओं के संबंध में तर्क–वितर्क न करने के लिए कहा।
श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। वे सदन के वैल में आ गये और अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क करने लगे।
अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनके अमर्यादित आचरण के कारण इंगित किया।
चूंकि सदस्य ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।
श्री ओमप्रकाश शर्मा तथा श्री जगदीश प्रधान ने विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

8. 4.30 बजे श्री महेन्द्र गोयल ने गांवों को क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में फण्ड देने का मामला उठाया।
श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री ने उत्तर दिया।

9. 4.33 बजे **मंत्री द्वारा वक्तव्य :**
श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि संसद मार्ग पर प्रदर्शन के दौरान एक भटके हुए समूह ने 09 अगस्त, 2018 को संविधान की प्रतियां जलाई।
उन्होंने मांग की कि संविधान का अपमान करने और सामाजिक सदभाव को ठेस पहुंचाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।

10. 4.43 बजे श्री संदीप कुमार खड़े हो गये तथा अध्यक्ष महोदय से नियम–280 के तहत मामला उठाने की अनुमति देने का अनुरोध करने लगे।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्यों द्वारा नियम–280 के तहत आज उठाये जाने वाले मामलों को पढ़ा हुआ माना गया है।
श्री संदीप कुमार ने तर्क–वितर्क करना प्रारम्भ कर दिया और अध्यक्ष महोदय के लगातार अनुरोध के बावजूद अपना आसन ग्रहण नहीं किया।
अध्यक्ष महोदय ने श्री संदीप कुमार को उनके अमर्यादित आचरण के कारण इंगित किया।
चूंकि सदस्य ने अपने आप बाहर जाने से मना कर दिया, अध्यक्ष महोदय ने मार्शलों को उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा।

11. 4.44 बजे

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प :

1. **सुश्री अलका लाम्बा** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के कई क्षेत्रों में आवारा कुत्तों और बंदरों के कारण उत्पन्न समस्याओं को लेकर ठोस नीतिगत निर्णय लिए जाने की अत्यंन्त आवश्यकता है; नगर निगम को खोज करके रचनात्मक और वैज्ञानिक तरीके अपनाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कुत्ते और बंदरों के द्वारा काटे जाने की घटनाएं न हों और इन जानवरों के प्रति भी क्रूरता न हो।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :–

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. श्री जरनैल सिंह
3. श्री सोमनाथ भारती
4. श्री नितिन त्यागी
5. श्री राजेश ऋषि
6. श्री सुरेन्द्र सिंह

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय शहरी विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

वे इस सुझाव से सहमत थे कि उपरोक्त विषय की जांच करने के लिए सदन की समिति गठित की जाये।

सदन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित समिति गठित की :

1. श्री सोमनाथ भारती, सभापति
2. श्री राजेश ऋषि
3. श्री सौरभ भारद्वाज
4. श्री ओमप्रकाश शर्मा
5. सुश्री अलका लाम्बा

सुश्री अलका लाम्बा द्वारा प्रस्तुत संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार हुआ।

5.30 बजे 2. **श्री श्रीदत्त शर्मा** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :—

''यह देखते हुए कि दिल्ली में कुछ आईएएस अधिकारियों में दिल्ली विधान सभा और इसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने का आश्चर्यजनक रूझान देखा जा रहा है; यह भी देखा गया है कि ये अधिकारी समिति के सदस्यों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं;

यह सदन, न्यायालय और मीडिया के सामने तोड़ मरोड़कर पेश की गई गलत सूचनाओं और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने के कृत्यों की निंदा करता है और संकल्प करता है कि विधायिका और इसकी समितियां और सदस्यों की महत्ता को घटाने वाले ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :—

1. श्री सौरभ भारद्वाज *(उन्होंने संशोधन भी प्रस्तुत किया।)*
2. श्री नितिन त्यागी
3. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
4. श्री सोमनाथ भारती

श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

निम्नलिखित संशोधित संकल्प मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार हुआ :

''यह देखते हुए कि दिल्ली में कुछ आईएएस अधिकारियों में दिल्ली विधान सभा और इसकी समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रक्रियाओं को चुनौती देने का आश्चर्यजनक रूझान देखा जा रहा है; यह भी देखा गया है कि ये अधिकारी समिति के सदस्यों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं;

यह सदन, न्यायालय और मीडिया के सामने तोड़ मरोड़कर पेश की गई गलत सूचनाओं और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने के कृत्यों की निंदा करता है और संकल्प करता है कि विधायिका और इसकी समितियां और सदस्यों की महत्ता को घटाने वाले ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ;

यह सदन आगे संकल्प करता है कि सरकार द्वारा अधिकारियों को सदन, इसकी समितियों या अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ;

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि अधिकारियों को मुकद्दमेबाजी का खर्च वहन करना चाहिए, यदि वे सदन, इसकी समितियों या अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देते हैं ; और

यदि ऐसे अधिकारियों को सदन, समितियों या अध्यक्ष के निर्णयों को चुनौती देने की अनुमति प्रदान की जाती है तो मुकद्दमेबाजी का खर्च उस अधिकारी, मंत्री या प्राधिकारी से वसूला जाये, जिसने ऐसी अनुमति प्रदान की हो।''

12. 6.29 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन को 72वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनायें दीं और बताया कि 14 और 15 अगस्त, 2018 को सांय 5.30 बजे से विधानसभा भवन प्रकाशमान रहेगा। उन्होंने सदस्यों को परिजनों तथा अतिथियों के साथ इसे देखने के लिए आमंत्रित किया।

13. 6.30 बजे अध्यक्ष महोदय ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सदन के सभी सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों/संस्थाओं का आभार व्यक्त किया।

14. 6.31 बजे *राष्ट्र गान : जन—गण—मन।*

सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित हुआ।

दिल्ली **सी. वेलमुरूगन**
10 अगस्त, 2018 **सचिव**